महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 75वीं बैठक
कार्यवृत्त (Minutes)

दिनांक : 26.03.2011 **प्रातः 11:30 बजे**

प्रबंध बोर्ड की 75वीं बैठक दिनांक 26.03.2011 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबंध बोर्ड कक्ष में आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. प्रोफेसर भगीरथ सिंह, कुलपति — अध्यक्ष
2. प्रो. के.के..शर्मा, अजमेर — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)
3. प्रो0 एस.एन.सिंह, अजमेर — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)
4. डॉ० रघुनंदन शर्मा (डॉ० रघु शर्मा), विधायक, केकड़ी — सदस्य
   (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)
5. श्री कमल बैरवा, विधायक, निवाई — सदस्य
   (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)
6. प्रो. रमाकान्त, जयपुर — सदस्य
   (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)
7. प्रो. पी.एस.वर्मा, जयपुर — सदस्य
   (राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)
8. श्री मधुकर गुप्ता — सदस्य
   (प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर)
9. संभागीय आयुक्त — सदस्य
   (प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि)
10. निदेशक (आयुक्त), महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर — सदस्य
11. श्री बी.एल.सुनारिया, कुलसचिव — सदस्य सचिव

<u>अनुपस्थित सदस्य</u>

1. डॉ0 रघुनंदन शर्मा (डॉ0 रघु शर्मा) विधायक केकडी — सदस्य
   (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित)
2. प्रो. पी. एस. वर्मा, जयपुर — सदस्य
   (राजस्थान सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद)

3. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर सदस्य

4. शासन सचिव, योजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर सदस्य

5. निदेशक (आयुक्त) महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान जयपुर सदस्य

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। माननीय ने प्रबंध बोर्ड के सभी सदस्यों से प्रबंध बोर्ड की कार्यवाही संपादित करने में सहयोग की अपेक्षा की, तदुपरांत प्रबंध बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरांत प्रबंध बोर्ड की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

दिनांक : 26.03.2011 **प्रातः 11:30 बजे**

मद	विवरण		अनुभाग / विभाग
मद सं. 1	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 28.08.2010 को सम्पन्न हुई 72वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (72) शैक्षणिक–I / मदसविवि / 2010 / 33626–637 दिनांक 09.09.2010 को प्रेषित की गई ।		**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**कार्यवृत्त की पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गयी कि मद सं0 26 की मांग संख्या 5 के निर्णय को विलोपित माना जावे । संभागीय आयुक्त महोदय चूंकि दिनांक 28.08.2010 की बैठक में उपस्थित नहीं थे, अतः इसकी पुष्टि / सहमति से उन्हें पृथम माना जावे ।**		
मद सं. 2	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 28.01.2011 को सम्पन्न हुई 73वीं विशेष बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (73) शैक्षणिक–I / मदसविवि / 2011 / 8854–66 दिनांक 09.02.11 को प्रेषित की गई ।		**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।**		
मद सं. 3	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 05.03.2011 को सम्पन्न हुई 74वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (74) शैक्षणिक–I / मदसविवि / 2011 / 31107–18 दिनांक 16.03.2011 को प्रेषित की गई ।		**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।**		
मद सं. 4	दिनांक 28.08.2010 को सम्पन्न प्रबन्ध बोर्ड की 72वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– I)**		**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन इस प्रेक्षण के साथ किया गया कि मद सं0 20 एवं 21 में समिति की अनुशंषा आगामी बैठक में आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जावे, इसमें शिथिलता नहीं बरती जावे । सम्भागीय आयुक्त दिनांक 28.08.2010 की बैठक में उपस्थित नहीं थे, अतः इसकी पुष्टि से**		

	उन्हें अलग माना जावे ।		
मद सं 5	दिनांक 28.01.2011 को सम्पन्न प्रबन्ध बोर्ड की 73वीं विशेष बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– II)**		**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया ।**		
मद सं. 6	वित्त समिति की दिनांक 25.01.2011 को सम्पन्न 29वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– III)**		**लेखा एवं वित्त**
निर्णय	**बी.एफ.सी. का कार्यवृत्त प्राप्त होने के उपरांत विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2011–12 के बजट को पारित करने का निर्णय लिया गया । इस बीच कार्य संचालन में अवरोध नहीं हो, तीन माह के लिए लेखानुदान स्वीकृत कर आवश्यक व्यय किये जाने का निर्णय लिया गया ।**		
मद सं. 7	प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 5 दिनांक 08.01.2010 द्वारा डॉ. एन.एम. खण्डेलवाल, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के संबंध में लिए गए निर्णय के विरूद्ध डॉ. एन.एम. खण्डेलवाल द्वारा कुलाधिपति, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर को दिनांक 17.10.2010 के पत्र द्वारा की गई अपील पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– IV)**		**संस्थापन**
निर्णय	**इस प्रकरण का संक्षिप्त नोट बनाकर सभी सदस्यों को भेजने का निर्णय लेते हुए प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।**		
मद सं. 8	विश्वविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन 5 बैड के चिकित्सालय हेतु (जिसमें 24 घण्टे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो) एक एलोपैथिक चिकित्सक, एक नर्स, एक कम्पाउण्डर, एक वार्ड बॉय और एक स्वीपर के पदों का सृजन करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाने पर विचार करना। राज्य सरकार से पदों के सृजन की स्वीकृति प्राप्त होने और उन पर नियमित रूप से चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति होने तक सृजित पदों का स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार से लिए जाने पर विचार करना ।		**संस्थापन**
निर्णय	**विश्वविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन चिकित्सालय हेतु चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति होने तक राज्य सरकार को प्रतिनियुक्ति हेतु पत्र लिखे जाने का निर्णय किया गया ।**		
मद सं. 9	सहायक कर्मचारी संघ ने मांग की है कि नियमों में रु. 8000/– मूल वेतन प्रतिमाह प्राप्त करने वाले कर्मचारी को कार खरीदने के लिए वाहन अग्रिम देने का प्रावधान है, अतः उन्हें कार के लिए वाहन अग्रिम दिया जाए। इस सम्बन्ध में म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर लेखा, वित्त एवं बजट नियमों के नियम संख्या 125 में नई मोटरकार या जीप क्रय करने हेतु वाहन अग्रिम उस कार्मिक को दिए जाने का प्रावधान है, जिसका वेतन रु.10,500/– प्रतिमाह और उससे अधिक हो। अतः इस नियम के परिप्रेक्ष्य में सहायक कर्मचारी संघ की मांग पर विचार करना।		**लेखा एवं वित्त**
निर्णय	**विश्वविद्यालय कार्मिक जिनका न्यूनतम वेतन रू0 10500/– प्र.मा. हो को नयी कार या जीप क्रय करने हेतु योग्य मानने का निर्णय किया गया । ऐसे कार्मिकों से प्राप्त आवेदन की आवश्यक जांच कर कार्यवाही की जावेगी ।**		
मद सं. 10	प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 10 दिनांक 11.6.2008 के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की दिनांक 23.12.2010 को सम्पन्न हुई बैठक (चिकित्सा पुनर्भरण की दरों के सम्बन्ध में) के कार्यवृत में की		**लेखा एवं वित्त**

	गई संस्तुतियों पर विचार कर अनुमोदन करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–V)**		
निर्णय	**प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।**		
मद सं. 11	प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 28.8.2010 में मद संख्या 26 मांग सं. 2 कि 'विश्वविद्यालय में रिक्त पडे कनिष्ठ लिपिक के पदों पर योग्यताधारी सहायक कर्मचारियें को नियमानुसार पदोन्नति प्रदान की जावे।' पर निर्णय लिया गया कि 'विश्वविद्यालय में सहायक कर्मचारी जो पदोन्नति हेतु पात्रता रखते हैं, उनकी संख्या ज्ञात की जावे तथा वांछित जानकारी प्राप्त कर तथ्यात्मक सूचना प्राप्त कर अगली बैठक में पदों का अनुमान तय किया जाएगा।' तदनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है : कनिष्ठ लिपिक के वर्तमान में उपलब्ध 69 पदों पर 80% कोटा के अन्तर्गत 56 तथा 20% कोटा के अन्तर्गत 13 पद बनते हैं। वर्तमान में सीधी भर्ती के 80% कोटे में 56 के स्थान पर 34 कार्यरत हैं जो कुल 61% बनते हैं एवं पदोन्नति के 20% कोटे में 13 के स्थान पर 27 कनिष्ठ लिपिक कार्यरत हैं, जो कुल 39% बनते हैं। कनिष्ठ लिपिक के पदों पर पदोन्नति की पात्रता रखने वाले सहायक कर्मचारियों की संख्या 26 हैं, सूची संलग्न है। विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिकों की पदों की वर्तमान स्थिति का विवरण संलग्न है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–VI)** वर्तमान में कनिष्ठ लिपिक के कुल 8 पद रिक्त हैं, ये पद वर्ष 2003 से निरन्तर रिक्त हैं, जिन पर सीधी भर्ती से नियुक्ति की जानी है। गत 10–12 वर्षों से सीधी भर्ती पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है और 20% कोटा में पदोन्नति से भरने के लिए पद रिक्त नहीं है। चूंकि इन वर्षों में नए विभाग/अनुभाग स्थापित किए हैं यथा विधि, शिक्षा, संस्कृत, वैदिक वांडमय विभाग, रिकॉर्ड अनुभाग, सूचना प्रकोष्ठ, नचिकेता छात्रावास, अभियंता अनुभाग आदि। अतः इनमें स्टाफ की कमी है। विश्वविद्यालय में अनेक वर्षों से 8 कनिष्ठ लिपिक नहीं नियुक्त हो पा रहे हैं अतः कनिष्ठ लिपिक के पदों पर नियुक्ति एवं पदोन्नति के कोटा 80 : 20 को समुचित अनुपात में करने हेतु प्रस्ताव प्रबंध बोर्ड की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत हैं ।		**संस्थापन**
निर्णय	**विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर योग्यताधारी सहायक कर्मचारियों को नियमानुसार पदोन्नति प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय के निर्णयों तथा आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए पदोन्नति करने हेतु प्रो0 के.के.शर्मा तथा कुलसचिव की एक कमेटी बनायी जाती है जो अपनी रिपोर्ट प्रबंध बोर्ड़ की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी ।**		
मद सं. 12	प्रबन्ध बोर्ड ने दिनांक 28.08.2010 की बैठक में मद संख्या 24 जिसमें विश्वविद्यालय के प्राणिशास्त्र विभाग में कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक (उच्च तकनीक प्रयोगशाला) को अन्य विभागों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों के समान वेकेशन स्टाफ मानकर एक वर्ष में 15 उपार्जित अवकाश स्वीकार करने की मांग पर विचार किया था और निर्णय किया था कि अन्य विभागों में जो प्रक्रिया है उसे आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।		**संस्थापन**

	प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय के अन्य विभागों मं केवल प्रयोगशाला सहायकों के पद हैं, जिन्हें प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 24.11.2001 में लिए गए निर्णय के अनुसार वेकेशन स्टाफ मानकर एक वर्ष में 15 उपार्जित अवकाश दिए जा रहे हैं। अन्य विभागों में कनिष्ठ तकनीकी सहायक का पद सृजित नहीं है, यह पद केवल प्राणिशास्त्र विभाग में सृजित है।		
निर्णय	**अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय किया गया ।**		
मद सं. 13	प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 27.08.1997 के निर्णयानुसार दीक्षान्त समारोहों में प्रदान किये जाने वाले स्वर्ण पदकों के सम्बन्ध में स्वर्ण पदकों के 4 सेन्टीमीटर डायमीटर का तथा 5 ग्राम सोना व 5 ग्राम चांदी मिश्रित निर्मित का निर्णय लिया गया था।विश्वविद्यालय अध्यादेश 122 (बी) के तहत् कोई प्रायोजक प्रबन्ध बोर्ड की स्वीकृति से कुलपति महोदय द्वारा अक्षय निधि कोष हेतु निर्धारित राशि जमा कराकर स्वर्ण पदक प्रायोजित कर सकता है। वर्तमान में संलग्न परिशिष्ठ के अनुसार कुल छः स्वर्ण पदक प्रायोजित हैं। जो कि अक्षय निधि कोष हेतु पूर्व निर्धारित राशि रू. 30000/– जमा कराकर प्रायोजकों द्वारा प्रायोजित किये गये हैं। सत्र 2007 तक आयोजित दीक्षान्त समारोहों में प्रायोजित स्वर्ण पदक वितरित किये जा चुके हैं । दीक्षान्त समारोह में प्रदान किये जाने वाले विभिन्न प्रायोजित स्मृति स्वर्ण पदकों हेतु संधारित अक्षय निधि की राशि के पुनर्निर्धारण एवं प्रदान किये जाने वाले पदकों में स्वर्ण एवं रजत के अंश के सम्बन्ध में प्रस्ताव देने हेतु गठित समिति की दिनांक 20 फरवरी, 2010 की बैठक की अनुशंसा के आधार पर माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार सोने व चांदी की तत्समय की अनुमानित कीमतों के आधार पर पदकों की लागत एवं पदक प्रायोजकों द्वारा अक्षय निधि की जमा राशि पर अर्जित आय के अंतर के आधार पर प्रायोजकों से रू. 150000/– अतिरिक्त राशि विश्वविद्यालय अक्षय निधि कोष में जमा कराये जाने एवं पूर्व वर्षों में दिये गये स्वर्ण पदकों की कीमत एवं अर्जित ब्याज के अंतर की संलग्न विवरण में अंकितानुसार राशि को भी उक्त राशि में सम्मिलित करते हुए प्रायोजकों को राशि जमा कराने हेतु संलग्न विवरणानुसार सूचित किया गया था। साथ ही यह भी सूचित किया गया था कि सोने की कीमत तथा बैंक ब्याज दर परिवर्तनशील होने के कारण प्रायोजकों द्वारा जमा अक्षय निधि की राशि भी तद्नुसार ही परिवर्तनशील है । अध्यादेश 122 (बी) के प्रावधानानुसार अक्षय निधि की राशि के निर्धारण हेतु कुलपति महोदय सक्षम है एवं स्वर्ण पदकों हेतु अक्षय निधि को स्वीकार किया जाना अध्यादेश 122 के प्रावधाानांतर्गत है। पदक प्रायोजकों द्वारा माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार सूचित किये जाने के उपरांत भी प्रायोजकों द्वारा निर्धारित राशि जमा नहीं कराया जाना अध्यादेश 122 (बी) के प्रावधानों का उल्लंघन है । प्रायोजकों द्वारा निर्धारित राशि जमा नहीं कराये जाने पर सत्र 2008 से उक्त स्वर्ण पदक अध्यादेश 122 (बी) के प्रावधानानुसार प्रायोजित स्वर्ण पदक वितरित किया जाना सम्भव नहीं है । अतः संलग्न विवरणानुसार प्रायोजित स्वर्ण पदकों को उनके प्रायोजकों		**शैक्षणिक–II**

	द्वारा अक्षय निधि की संशोधित राशि एवं वर्ष 2007 तक वितरित पदकों की लगात एवं आय के अंतर की राशि जमा नहीं कराये जाने के आधार पर वर्ष 2008 से प्रायोजित नहीं किये जाने का निर्णय लिये जाने एवं सत्र 1997 से 2007 तक वितरित स्वर्ण पदकों की संलग्न विवरणानुसार लागत एवं आय के अंतर की राशि अक्षय निधि की पूर्व में जमा राशि रू. 30000/– में से समायोजित करते हुए बकाया राशि पदक प्रायोजकों को लौटाये जाने के सम्बन्ध में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–VII)**		
निर्णय	**प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।**		
मद सं. 14	प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2010 के कार्यवृत्त के निर्णय सं. 31 के तहत् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि संशोधन विनियम 2010 के प्रावधानों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यायों हेतु अंगीकृत एवं प्रवृत्त किये जाने किन्तु इन महाविद्यालयों में प्राचार्य पद की अधिकतम आयु राज्य सरकार के नियमानुसार ही मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में लेख है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 2009 के विनियमों में प्राचार्य की आयु के सम्बन्ध में प्रावधान निम्नानुसार है : **Note: In the event of non-availability of eligible and suitable candidates for appointment as Principal/ Head as per above eligibility criteria, it would be permissible to appoint retired Professor/ Head in Education on contract basis for a period not exceeding one year at a time till such time the candidates complete 65 years of age.** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के संशोधित विनियम 2010 के अनुसार इस सम्बन्ध में निम्न प्रावधान किया गया है: **4(b) In sub-paragraph (II), in the Note to item (i), for the figure and word "65 years" the words "Seventy years" shall be substituted.** अतः उक्त प्रावधानों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त बी.एड. एवं अन्य महाविद्यालयों के लिये अंगीकृत किये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष पुनः विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।		**शैक्षणिक–II**
निर्णय	**प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।**		
मद सं. 15	विश्वविद्यालय के अध्यादेश 54 के प्रावधानानुसार कला, ललित कला, समाज विज्ञान, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों हेतु सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों की न्यूनतम योग्यता सम्बन्धी प्रावधानों के अनुसार स्नातक स्तरीय महाविद्यालय के प्राचार्य हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में 10 वर्ष का अध्यापन अथवा शोध का अनुभव होना आवश्यक है एवं स्नातकोत्तर स्तरीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों हेतु 12 वर्ष का अध्यापन अथवा शोध का अनुभव होना अनिवार्य है ।		**शैक्षणिक–II**

	अतः सम्बद्ध महाविद्यालयों में उपरोक्तानुसार अनुभवधारी प्राचार्यों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए स्नातक स्तरीय एवं स्नातकोत्तर स्तरीय महाविद्यालयों में प्राचार्य पद हेतु अध्यापन अथवा शोध के अनुभव में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।		
निर्णय	**प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।**		
मद सं. 16	प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2010 में मद सं. 9 के तहत् निरीक्षण बोर्ड की दिनांक 25 मई, 2010 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किये गये थे। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उक्त मद पर विचार कर स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा अतिरिक्त विषय में सम्बद्धता लेने पर निरीक्षण नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए महाविद्यालयों में निरीक्षक भिजवाने के स्थान पर महाविद्यालयों से वांछित दस्तावेज विश्वविद्यालय में ही मंगवाकर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था साथ ही यदि अध्यादेश में संशोधन होना हो तो संशोधन का प्रारूप प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया था। किन्तु प्रबन्ध बोर्ड के उक्त निर्णय में निरीक्षण बोर्ड के कार्यवृत्त के अनुमोदन के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण निरीक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 25 मई, 2010 का कार्यवृत्त पुनः विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– VIII)**		**शैक्षणिक–II**
निर्णय	**प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।**		
मद सं. 17	विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय एमीनेन्ट अकेडमिक गर्ल्स कॉलेज, डिग्गी मालपुरा (टोंक) द्वारा सत्र 2010–2011 में स्नातकोत्तर स्तर पर पत्रकारिता एवं जन संचार (एम.जे.एम.सी.) पाठ्यक्रम की नवीन अस्थायी सम्बद्धता हेतु आवेदन किया गया है। सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय नियमानुसार सम्बन्धित पाठ्यक्रम का स्नातक स्तर पर 5 वर्ष तक निरन्तर एवं सफलतापूर्वक अध्यापन कराया जाना आवश्यक है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पत्रकारित एवं जन संचार में स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम अनुमोदित नहीं है जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर पत्रकारिता एवं जन संचार (एम.जे.एम.सी.) का पाठ्यक्रम अनुमोदित है एवं विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग में संचालित है । अतः एमीनेन्ट अकेडमिक गर्ल्स कॉलेज, डिग्गीमालपुरा (टोंक) ने स्नातक स्तर पर उक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी भी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय में संचालित नहीं होने के आधार पर स्नातक स्तर पर 5 वर्ष के निरंतर एवं सफलतापूर्वक अध्यापन के पश्चात् स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम की नवीन अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के नियमानुसार प्रावधान में शिथिलता प्रदान करते हुए स्नातकोत्तर स्तर पर पत्रकारिता एवं जन संचार (एम.जे.एम.सी.) की नवीन सम्बद्धता प्रदान करने हेतु निवेदन किया है ।		**शैक्षणिक–II**

	प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।		
निर्णय	**प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।**		
मद सं. 18	भवन निर्माण समिति की 41वीं बैठक दिनांक 25.01.2011 के कार्यवृत्त **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– IX)** पर विचार करना ।		**अभियन्ता कार्यालय**
निर्णय	**कार्यवृत्त स्वीकृत किया गया ।**		
मद सं. 19	पर्यावरण विज्ञान विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर की विभागीय समिति द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2011 को प्रस्तावित Centre for Environmental Education and Training (CEEP) स्थापित एवं संचालित किए जाने की रूपरेखा पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– X)**		**पर्यावरण विज्ञान विभाग**
निर्णय	**प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।**		
मद सं. 20	कंचन देवी कॉलेज ऑफ कम्प्यूटर साइंस, भीलवाड़ा के द्वारा बी.एससी. ऑनर्स, एम.एससी., जूलोजी, एम.एससी. बोटनी तथा एम.एससी फूड एण्ड एण्ड न्यूट्रीशन पाठ्यक्रमों का सत्र 2008–09 से 2009–10 की अवधि का बकाया सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं कराने के संबंध में महाविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांकः 870 दिनांक 08.12.2010 पर डॉ0 रघु शर्मा, विधायक एवं सदस्य, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष रखे जाने हेतु किये गये निवेदन के क्रम में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XI)**		**शैक्षणिक–II**
निर्णय	**प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।**		
मद सं. 21	प्रतिवेदन है कि प्रो0 मनोज कुमार द्वारा दिनांक 14–10–2005 (01 दिन) एवं 08–11–2005 से 12–11–2005 (05 दिन) एवं 01–12–1995 से 06–12–1995 (06 दिन) अस्वस्थता के कारण से अवकाश आवेदन प्रस्तुत किया था किन्तु रोग और आरोग्य प्रमाण–पत्र नहीं होने के कारण नियमानुसार इस अवधि का नियमितीकरण नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में प्रो0 मनोज कुमार को सूचित करते हुए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये थे जिसके संबंध में उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XII)** पर अवलोकनार्थ एवं नियमों में शिथिलता प्रदान करने अथवा उक्त अवधि के रोग और आरोग्य प्रमाण–पत्र की आवेदक द्वारा फोटो प्रतियां प्रस्तुत करने के आधार पर अवकाश स्वीकृत किये जाने पर विचार करना । नियमों में शिथिलता प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय के अवकाश नियम में प्रावधान निम्नानुसार है :– Rule No. 42 "Notwithstanding anything mentioned above, the Board of Management shall have power to relax these rules in special cases and grant such leave as it may deem fit for reasons to be recorded in writing".		**संस्थापन**
निर्णय	**प्रकरण वर्ष 2006 से लंबित है । प्रकरण में दोषी कौन है, का उत्तरदायित्व निर्धारण करने हेतु प्रो0 एस.एन. सिंह एवं कुलसचिव की कमेटी जांच कर अगली बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।**		
मद सं. 22	शिक्षक अंशदायी कल्याण कोष की बैठक दिनांक 30 अप्रैल, 2010 में कोष के नियमों को और अधिक व्यावहारिक एवं प्रासंगिक बनाये जाने का निर्णय लिया गया था । जिसके क्रम में इस हेतु गठित समिति के द्वारा शिक्षक अंशदायी कल्याण कोष के संशोधित नियमों का प्रारूप दिनांक		**शैक्षणिक–II**

	04.03.2011 को प्रस्तुत किया गया । समिति द्वारा संस्तुत शिक्षक अंशदायी कल्याण कोष के संशोधित नियमों का प्रारूप प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XIII)**		
निर्णय	**प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।**		
मद सं. 23	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में योग विज्ञान एवं मानव संचेतना विभाग स्थापित है जिसमें बी.एससी. नेचुरोपैथी एण्ड यौगिक साइंस त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम के साथ एक वर्षीय डिप्लोमा इन योगा एज्यूकेशन एण्ड ह्यूमन साइंस पाठ्यक्रम संचालित है । विश्वविद्यालय एवं स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान (डीम्ड विश्वविद्यालय) के मध्य हुए इकरार के अनुसार इस विभाग में योग प्रशिक्षक उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व टल्ौ। का है । चूंकि विभाग का एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम और त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम संचालित है । अतः विभाग में योग प्रशिक्षकों के साथ–साथ अर्हताधारी व्याख्याता लिये जाने के प्रयोजन से उस करारनामें में जहां–जहां Yog Instructor प्रयोग हुआ है उसे संशोधित करते हुए Yog Instructor or Qualified Lecturer शब्द जोड़े जाने पर विचार करना तथा स्वीकृति की स्थिति में व्यासा संस्थान को उक्त करार **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XIV)** को तदनुसार संशोधन करने की सहमति लिये जाने पर विचार करना ।		**संस्थापन**
निर्णय	**प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।**		
मद सं. 24	प्रबंध बोर्ड़ की निर्णय संख्या 21 दिनांक 08–01–2010 की अनुपालना में वर्ष 1997–98 में सहायक के पद के 34 प्रतिशत कोटा के अन्तर्गत रिक्त उपलब्ध 02 पदों पर विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत राजस्थान विश्वविद्यालय (अशैक्षणिक) कर्मचारी नियुक्ति नियम 1974 के नियम संख्या 15 एवं 16 के प्रावधानानुसार विभागीय चयन समिति की अनुशंसाओं पर 02 वरिष्ठ लिपिकों को सहायक के पद के वेतनमान रूपये 5000–150–8000 में दिनांक 31 मार्च 1998 से इस शर्त के साथ पदोन्नति प्रदान की गई कि यह पदोन्नति प्रबंध बोर्ड़ के निर्णय के अध्यधीन होगी तथा प्रबंध बोर्ड़ के निर्णय के अनुसार इन्हें एरियर का भुगतान देय नहीं होगा । पदोन्नति आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/मदसविवि/2010/37408 दिनांक 09–10–2010 जारी किया जा चुका है उक्तानुसार प्रदत्त पदोन्नति की पुष्टि हेतु प्रबंध बोर्ड़ के समक्ष मद प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XV)**		**संस्थापन**
निर्णय	**प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।**		
मद सं. 25	प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 10 दिनांक 28.08.10 में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रतिवेदन है कि वर्ष 1987 में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अध्यादेशों को इस शर्त के साथ अंगीकृत किया गया था कि इस विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार समय–समय पर इसमें जो भी परिवर्तन, परिवर्धन/संशोधन आवश्यक होंगे वे सक्षम प्राधिकार द्वारा किये जा सकेंगे । तदनुसार वर्ष 1987 से अब तक अनेक अध्यादेशों में संशोधन किये गये हैं, और समय–समय पर कार्यालय आदेश जारी हुए हैं । परीक्षा संबंधी अध्यादेश सीधे–सीधे छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक संस्थानों पर प्रभावशील होते हैं		**शैक्षणिक–I**

	जिनकी कोई पुस्तिका या एकीकृत रूप में संकलन तैयार नहीं हुए है । इस प्रयोजन से प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 27.11.2009 के निर्णय संख्या 27 द्वारा डॉ0 जे.पी. व्यास को विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का प्रारूपण करने हेतु अधिकृत किया गया था । उन्होंने परीक्षा संबंधी सभी अध्यादेशों में अब तक हुए संशोधनों और इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार को ध्यान में रखते हुए अध्यादेशों के अद्यतन करके इकजाई रूप में प्रस्तुत किया हैं, जिनका प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य प्रो. के.के. शर्मा के संयोजकत्व में गठित समिति द्वारा परीक्षण किया गया हैं । अतः समिति की अनुशंषानुसार प्रस्तुत अध्यादेशों के प्रारूपण पर निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XVI)**		
निर्णय	**प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।**		
मद सं. 26	**माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः–** **(1) प्रतिवेदन है कि** प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 26.05.2010 की मद संख्या 16 पर लिये गये निर्णय की अनुपालना में विश्वविद्यालय कार्मिकों को छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद ओवरटाईम एवं हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिये जाने बाबत् कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था/मदसविवि/2011/8883–91 दिनांक 09.02.2011 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XVII)**		**संस्थापन**
निर्णय	**माननीय कुलपति महोदय के आदेशों की पुष्टि की गयी ।**		
	(2) <u>**प्रतिवेदन है कि**</u> UGC Regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in Universities & Colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education 2010 दिनांक 30–6–2010 में वर्णित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/वांछित योग्यताओं और अहर्ताओं को माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की है । तदनुसार विश्वविद्यालय के "Ordinances Governing Service Conditions etc. of University Teachers and Employees 1998" के अंतर्गत Schedule-I (Categories and Nature of Teaching and Non-Teaching Post in the University) में उक्त पदों के लिए विद्यमान शैक्षणिक योग्यताओं एवं अर्हताओं को संशोधित रूप में प्रवृत किया गया । तद्नुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्ष–प्रथम/मदसविवि/2010/31503–891 दिनांक 27.08.10 जारी की गयी । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XVIII)**		**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।**		
	(3) <u>**प्रतिवेदन है कि**</u> UGC Regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in Universities & Colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education 2010 दिनांक 30–6–2010 में वर्णित विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/वांछित योग्यताओं और अहर्ताओं को माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की है । तदनुसार विश्वविद्यालय के "Ordinances Governing Service Conditions etc. of		**शैक्षणिक–I**

	University Teachers and Employees 1998" के अंतर्गत Schedule-III A-II-(b) में उक्त पदों के लिए विद्यमान शैक्षणिक योग्यताओं एवं अर्हताओं को संशोधित रूप में प्रवृत्त किया गया । तद्नुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्ष–प्रथम/मदसविवि/2010/69–459 दिनांक 05.01.11 जारी की गयी । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XIX)**		
निर्णय	**प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।**		
	(4) <u>प्रतिवेदन है कि</u> वित्तीय वर्ष 2010–11 के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम/यूजीसी के संशोधित अनुमान विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृत किए गए है तद्नुसार कार्यालय आदेश एफ 6 ( ) स्ववित्त/लेखा–I/मदसविवि/2010–11/12346–63 दिनांक 12.03.2011 जारी किया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XX)**		**लेखा एवं वित्त**
निर्णय	**प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।**		
	(5) <u>प्रतिवेदन है कि</u> प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 12 दिनांक 12.02.1997 को दृष्टिगत रखते हुए कुलपति सचिवालय, कुलसचिव कार्यालय, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय और वित्त नियंत्रक कार्यालय के अधीन पदस्थापित शीघ्रलिपिक ग्रेड–I का कार्य ''आर्डियस नेचर'' का मानते हुए उन कार्मिकों को, जिस तिथि से वे उस पद पर पदस्थापित है, उस तिथि से रू. 85/– का विशेष वेतन प्रदान करने के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि के अध्याधीन प्रदान किये है, तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्थापन/मदसविवि/2011/13061 दिनांक 15.03.2011 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XXI)**		**संस्थापन**
निर्णय	**माननीय कुलपति महोदय के आदेशों की पुष्टि की गयी ।**		
मद सं. 27	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा आयोजित पीटीईटी परीक्षा, 2007 के पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेशार्थ सम्पन्न काउंसलिंग में समन्वयक पीटीईटी कार्यालय द्वारा प्रवेश शुल्क के रूप में एकत्रित सकल शुल्क राशि रू0 1,01,62,49,205/– (अक्षरे एक सौ एक करोड़ बासठ लाख उनपचास हजार दो सौ पाँच मात्र) के विरूद्ध बैंक खाते में राशि रू. 22,400/– की न्यूनता (short credit) के फलस्वरूप वास्तविक रूप से राशि रू. 1,01,62,26,805/– मात्र (अक्षरे एक सौ एक करोड़ बासठ लाख छब्बीस हजार आठ सौ पाँच मात्र) ही credited होने के कारण लेखा पुस्तकों में दर्शित short credit की राशि रू0 22,400/– का अपलेखन (write off) करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड की अनुमति प्राप्त करने हेतु **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XXII)** वास्तविक प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में विचार–विमर्श कर अपलेखन की अनुमति पर विचार करना ।		**पीटीईटी सैल**
निर्णय	**प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।**		
मद सं. 28	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के शिक्षकों का संयुक्त ज्ञापन दिनांक 14.03.2011 जिसमें उन्होंने छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत किए गए वेतन नियतन के एरियर का अक्टूबर, 2009 से भुगतान किए जाने का अनुरोध किया है । क्योंकि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रवृत्त किए गए छठे वेतन आयोग के वेतन नियतन के एरियर के भुगतान सम्बन्धित के सामान्य भविष्य निधि खाते में करने का संयुक्त दायित्व राज्य सरकार और विश्वविद्यालय का है । विश्वविद्यालय ने अपने स्रोत से 5 माह के एरियर का नकद भुगतान कर दिया, किन्तु जो राशि सामान्य प्रावधायी निधि में जमा होनी थी वह जमा नहीं कराई है । यह राशि 31.03.2010 से पूर्व तक खाते में जमा रहेगी ।		**संस्थापन**

	विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार को अनेक बार निवेदन किया है कि सरियर की राशि विश्वविद्यालय अपने शिक्षकों के लिए अपने स्रोतों से जमा कराने को तैयार है, किन्तु राज्य सरकार की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । अतः एरियर का भुगतान विश्वविद्यालय के स्रोत से जमा कराएं जाने पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XXIII)**		
निर्णय	**विश्वविद्यालय के शिक्षकों को छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत देय एरियर की रशि संबंधित शिक्षक के जी.पी.एफ. खाते में जमा करने की कार्यवाही वित्त नियंत्रक से राय प्राप्त करके की जावे ।**		
मद सं. 29	विश्वविद्यालय के कार्मिकों द्वारा की गई मांग, कि वर्तमान नियमों में शिक्षण शुल्क का पुनर्भरण केवल उन कार्मिकों को किया जा रहा है जो आयकर नहीं देते हैं, इसके स्थान पर शिक्षण का पुनर्भरण उन कार्मिकों को भी किया जाय जो आयकर देते हैं (जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर में भी आयकरदाता कार्मिकों को शिक्षण शुल्क पुनर्भरण किया जा रहा है), पर विचार करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत मद । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XXIV)**		**संस्थापन**
निर्णय	**प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।**		

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

कुलसचिव